



सत्यमेव जयते

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष – 2023

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष—2023
(दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

1. अधिकरण का क्षेत्राधिकार

- 1.1. राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन 1 जुलाई, 1976 को किया गया था। उक्त अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही लागू किया गया है। इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है तथा सिविल सेवाएं जो राजपत्र में अधिसूचित हों (राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राज. न्यायिक सेवा के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग व लोकायुक्त कार्यालय, उपलोकायुक्त के कर्मचारियों के अलावा)। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 10061/2020 सुनील व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.12.2020 को पारित आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक उपक्रम मय जे.डी.ए. एवं नगर निगम के कर्मचारियों को, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 2(एफ) में परिभाषित सेवा मामलों हेतु अधिकरण में प्रथम सुनवाई का हक प्रदान करने के कारण वर्तमान में उक्त विभागों के कर्मचारियों के सेवा मामलों की सुनवाई भी अधिकरण में की जा रही है।
- 1.2. जोधपुर में अधिकरण की चलपीठ का गठन 1.11.1997 से किया गया है। चलपीठ जोधपुर की प्रतिमाह बैठक हो रही है।
- 1.3. कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प0 9(4)कार्मिक/क-2/22 जयपुर, दिनांक 06.09.2022 के अनुसरण में चलपीठ जोधपुर के लिए सुनवाई हेतु प्रत्येक माह 8 (आठ) प्रभावी दिवस के लिए माह सितम्बर, 2022 से बैठक आयोजित की जा रही है।
- 1.4. कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प0 9(4)कार्मिक/क-2/2022-04040 जयपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ की स्थापना की गई है। उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा एक सामान्य सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है एवं एक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् स्थाई पीठ जोधपुर की पूर्ण बैठक नियमित रूप से प्रारम्भ हो जाएगी।


2. न्याय पीठ का गठन

2.1 राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि-वेतनमान स्तर का अधिकारी तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें एक राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होगा।

वर्तमान में निम्नानुसार न्यायिक व्यवस्था कार्यरत है।

अधिकरण के जयपुर कार्यालय में अध्यक्ष तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 02 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्यों के रूप में पद स्वीकृत/नियुक्त हैं। माननीय सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

2.2 अधिकरण का संगठनात्मक विवरण



2.3 समीक्षाधीन अवधि 2023 में निम्नलिखित पदाधिकारी पदस्थापित रहे हैं :-

- | | |
|---|--|
| 1. श्री अश्विनी भगत, (IAS), अध्यक्ष | दिनांक 16.04.2022 से दिनांक 05.08.2022 तक एवं दिनांक 22.08.2022 से निरन्तर |
| 2. श्री अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक) | दिनांक 19.07.2022 से निरन्तर |
| 3. श्री एम. एस. काला, (Rtd. IAS), सदस्य | दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 02.01.2023 तक |
| 4. श्रीमती शुचि शर्मा, (Rtd. IAS), सदस्य | दिनांक 03.01.2022 से निरन्तर |
| 5. श्री चेतन राम देवड़ा, (Rtd. IAS), सदस्य | दिनांक 04.01.2023 से निरन्तर |
| 6. श्री लेखराज तोसावड़ा, (Rtd. RAS), सदस्य | दिनांक 04.01.2023 से निरन्तर |
| 7. श्री असलम मेहर, (Rtd. RAS), सदस्य (स्थाई पीठ जोधपुर) | दिनांक 09.10.2023 से निरन्तर |
| 8. श्री पंकज कुमार ओझा, (RAS), रजिस्ट्रार | दिनांक 17.10.2022 से निरन्तर |

2.4 अधिकरण के जयपुर कार्यालय में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:—

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1 निजी सचिव	02	01
2 सहायक रजिस्ट्रार	01	—
3 अतिरिक्त निजी सचिव	03	02
4 प्रोग्रामर	01	—
5 निजी सहायक ग्रेड—।	02	—
6 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	—
7 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—॥	01	—
8 निजी सहायक ग्रेड—॥	06	02
9 सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03	—
10 पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01
11 वरिष्ठ सहायक	05	—
12 सूचना सहायक	03	01
13 कनिष्ठ सहायक	10	04
14 वाहन चालक	03	—
15 जमादार	01	01
16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	07

वर्तमान में 01 सलाहकार अधिकरण में कार्यरत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध 10 होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अधिकरण में कार्यरत हैं।

2.5 अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:—

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1 सहायक रजिस्ट्रार	01	01
2 निजी सहायक ग्रेड—॥	03	03
3 वरिष्ठ सहायक	02	02
4 सूचना सहायक	02	02
5 कनिष्ठ सहायक	03	03

वर्तमान में 06 होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अधिकरण की स्थाई पीठ जोधपुर में कार्यरत हैं।

3. अधिकरण की अधिकारिता :-

3.1 राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम, 1976 की धारा 2(एफ) के प्रावधानों के तहत राज्य कर्मचारियों के निम्न सेवा मामलों में सुनवाई का अधिकार है :-

1. वरिष्ठता
2. पदोन्नति
3. पुष्टीकरण (स्थायीकरण)
4. वेतन स्थिरीकरण

5. किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेन्शन तथा अन्य सेवा शर्तों का उसके हित में अस्वीकार अथवा परिवर्तन करने वाला कोई आदेश।
6. उच्च सेवा श्रेणी अथवा पद पर स्थापन होते हुए निम्न सेवा श्रेणी अथवा पद पर पदावनति वाले मामले।
7. पेन्शन रोकना अथवा अधिकतम पेन्शन अस्वीकार करना।
8. राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(7) कार्मिक क-2/77 दिनांक 25.02.1995 के अनुसार स्थानान्तरण संबंधी मामलों में भी पूर्ण पीठ द्वारा अपीलें सुने जाने का प्रावधान था, अब राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.01.2016 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 4 में संशोधन कर स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रकरण भी दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण सहित सभी सेवा प्रकरणों का निस्तारण दो सदस्यीय पीठ द्वारा किया जाता है।

अधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम होता है। निर्णय से असंतुष्ट कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है।

3.2 अधिकरण की शक्तियाँ :-

अधिकरण के समक्ष प्रक्रियाएँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं 45 सन् 1860) की धारा 193 के अर्थों में न्यायिक प्रक्रियाएँ समझी जाती हैं।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 345 तथा 346 और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (केन्द्रीय अधिनियम 70 सन् 1971) के प्रयोजनार्थ अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
2. अधिकरण के अधिनियम के अधीन अपील निपटाने के प्रयोजन के लिए मामलों में सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1903 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियाँ भी अधिकृत हैं।

3.3 उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:- वर्ष 2023 में कुल 6993 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उक्त वर्ष के दौरान आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों में संबंधित विभागों एवं अपीलार्थी अधिवक्ताओं के मध्य सहमति एवं समन्वय स्थापित कर रिकॉर्ड संख्या में कुल 1354 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।

3.4 पुस्तकालयः- अधिकरण के पुस्तकालय में वर्ष 2023 के दौरान पुस्तकों की संख्या 11925 से बढ़कर 11959 हो गई हैं। अतः 34 नई पुस्तकों एवं विधि संबंधी पीरियोडिकल जरनल्स (Journals) का और समावेश हुआ है।

3.5 प्रतिलिपियाँः- अधिकरण की प्रतिलिपि शाखा द्वारा वर्ष 2023 में कुल 6162 प्रतियां सशुल्क एवं 1386 प्रतियां निःशुल्क जारी की गई हैं। जिससे 24048/- रुपये की आय प्राप्त हुई।

4.1 2023 में प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है :-

(1) माहवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 1
(2) जिलेवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 2
(3) विभागवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 3
(4) विषयवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 4
(5) अन्य प्रार्थना पत्रों का विवरण	—	सारणी 5
(6) निर्णित अपीलों का विवरण	—	सारणी 6
(7) निर्णयों की प्रतियों का विवरण	—	सारणी 7
(8) अधिकरण को वित्तीय वर्ष 2023-24 — में आवंटित बजट एवं दिसम्बर 2023 तक खर्च की स्थिति	—	सारणी 8

4.2 वर्ष 2023 के अंतर्गत नई दर्ज की गई अपीलों की (सारणी-3) के अनुसार निम्न स्थिति उभरकर आती है :-

क्र. सं.	विभाग	अपीलों की संख्या	प्रतिशत
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1350	34.42%
2.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	745	19.00%
3.	राजस्व विभाग	276	7.04%
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	241	6.15%
5.	गृह/पुलिस विभाग	226	5.77%
6.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	126	3.22%
7.	वन विभाग	99	2.53%
8.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	86	2.20%
9.	स्वायत्त शासन विभाग	85	2.17%
10.	जल संसाधन विभाग	66	1.69%
11.	कॉलेज/उच्च शिक्षा विभाग	57	1.46%
12.	आयुर्वेद विभाग	53	1.36%

शेष सभी विभागों के मिलाकर लगभग 13.08% मामले दर्ज हुए हैं।

4.3 वर्ष 2020 से अधिकरण की निर्णित पत्रावलियों के निर्णय अधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड किये जा रहे हैं।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 1: माहवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2023

(दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

माह	जयपुर	जोधपुर
जनवरी-2023	805	107
फरवरी-2023	230	41
मार्च-2023	172	22
अप्रैल-2023	138	26
मई-2023	132	29
जून-2023	159	05
जुलाई-2023	319	45
अगस्त-2023	286	28
सितम्बर-2023	334	40
अक्टूबर-2023	487	105
नवम्बर-2023	151	19
दिसम्बर-2023	203	40
योग	3416	507
महायोग	3923	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 2 : जिलेवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2023
(दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

क्रं. सं.	जिला	जयपुर	जोधपुर
1.	अजमेर	140	15
2.	अलवर	248	4
3.	अनूपगढ़	—	—
4.	बालोतरा	—	3
5.	बांसवाड़ा	16	12
6.	बारां	66	1
7.	बाड़मेर	22	40
8.	ब्यावर	1	1
9.	भरतपुर	175	4
10.	भीलवाड़ा	61	7
11.	बीकानेर	80	41
12.	बूंदी	86	1
13.	चित्तौड़गढ़	37	5
14.	चूरु	107	25
15.	दौसा	130	6
16.	डीग	4	—
17.	धौलपुर	44	—
18.	डीडवाना कुचामन	15	1
19.	दूदू	2	1
20.	डूंगरपुर	14	16
21.	गंगानगर	36	11
22.	गंगापुर सिटी	12	1
23.	हनुमानगढ़	40	28
24.	जयपुर	778	36
25.	जयपुर ग्रामीण	4	—
26.	जैसलमेर	15	18
27.	जालौर	22	11
28.	झालावाड़	65	8
29.	झुन्झुनूं	297	5
30.	जोधपुर	26	80
31.	जोधपुर ग्रामीण	—	—
32.	करौली	103	—
33.	केकड़ी	3	—
34.	खैरथल—तिजारा	4	—
35.	कोटा	138	3
36.	कोटपूतली—बहरोड़	15	—
37.	नागौर	85	30
38.	नीम का थाना	12	—
39.	पाली	22	29
40.	फलोदी	1	—
41.	प्रतापगढ़	42	4
42.	राजसमंद	21	5
43.	सलूमबर	2	—
44.	सांचौर	4	—
45.	सवाई माधोपुर	88	6
46.	शाहपुरा	4	—

47.	सीकर	172	12
48.	सिरोही	12	11
49.	टोंक	87	5
50.	उदयपुर	58	21
	योग	3416	507
	महायोग	3923	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 3 : विभागवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2023
(दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

क्रं. सं.	विभाग	जयपुर	जोधपुर
1	अभियोजन विभाग	1	—
2	अल्पसंख्यक विभाग	2	2
3	आबकारी विभाग	9	1
4	आयुर्वेद विभाग	52	1
5	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	26	3
6	उद्योग विभाग	2	—
7	ऊर्जा विभाग	39	6
8	कार्मिक विभाग	10	1
9	कृषि विभाग	45	4
10	कॉलेज शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग	54	3
11	कोष एवं लेखा विभाग	23	4
12	कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	5	—
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	8	1
14	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	7	1
15	गृह विभाग	101	23
16	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	206	35
17	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	688	57
18	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	106	20
19	जयपुर विकास प्राधिकरण	5	—
20	जल संसाधन विभाग	54	12
21	जिला परिषद्	1	—
22	तकनीकी शिक्षा विभाग	5	2
23	देवस्थान विभाग	4	1
24	नगर नियोजन	1	—
25	नगरीय विकास विभाग	16	—
26	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	3	—
27	परिवहन विभाग	25	3
28	पर्यटन विभाग	1	—
29	पशुपालन विभाग	25	6
30	पुलिस विभाग	102	—
31	पेंशन विभाग	3	—
32	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	71	15
33	भाषा और पुस्तकालय विभाग	2	—
34	भू-जल विभाग	1	—
35	महिला एवं बाल विकास विभाग	32	6
36	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1144	206
37	मोटर गैराज विभाग	1	—
38	राजस्व विभाग	230	46
39	राज्य बीमा और प्रावधानी निधि विभाग	2	—

40	वन विभाग	87	12
41	वाणिज्य कर विभाग	4	—
42	वित्त विभाग	18	1
43	विधि विभाग	3	—
44	श्रम विभाग	4	—
45	संभागीय आयुक्त	1	—
46	संस्कृत शिक्षा विभाग	22	—
47	सहकारिता विभाग	14	2
48	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	11	2
49	सामान्य प्रशासन विभाग	3	—
50	सार्वजनिक निर्माण विभाग	48	1
51	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	7	—
52	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	13	8
53	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	1	—
54	स्वायत्त शासन विभाग	67	18
55	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	—	3
56	स्थानीय निकाय	—	1
57	अन्य	1	—
	योग	3416	507
	महायोग	3923	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 4 : विषयवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2023

(दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

क्रं. सं.	विषय	जयपुर	जोधपुर
1.	अधिशेष	1	28
2.	चयनित वेतनमान	157	74
3.	स्थानान्तरण	1909	310
4.	पदस्थापन	66	—
5.	पदावनति	1	—
6.	पेंशन	21	7
7.	वरिष्ठता एवं पदोन्नति	394	29
8.	वसूली	113	6
9.	वेतन और वेतन से संबंधित मामले	174	15
10.	वेतन के अलावा अन्य वित्तीय मामले	29	6
11.	सेवानिवृत्ति परिलाभ	5	—
12.	स्थायीकरण	1	1
13.	निलम्बन	—	13
14.	ए.सी.आर.	—	1
15.	सेवा समाप्ति	—	4
16.	कार्यग्रहण	—	1
17.	नियमितीकरण	—	1
18.	ए.पी.ओ.	—	1
19.	विविध	545	10
	योग	3416	507
	महायोग	3923	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 5 : विभिन्न दर्ज प्रार्थना-पत्रों का विवरण वर्ष 2023

(दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

विषय	जयपुर	जोधपुर
अवमानना	237	36
पुनर्स्थापना	19	13
पुनर्विलोकन	23	4
रिमाण्ड	—	—
विविध एवं त्रुटि सुधार	10	7
कुल योग	289	60

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी-6 दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक जयपुर एवं जोधपुर पीठ में प्राप्त एवं निर्णित अपीलों एवं प्रार्थना पत्रों का विवरण :-

प्रकरण दर्ज होने का वर्ष से 2010	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	योग	जोधपुर	कुल योग
1.1.23 को शेष अपील/ प्रार्थना पत्र	288	88	95	147	140	337	305	210	272	353	388	1028	4058	—	7709	1028	8737
1.1.23 से 31.12.23 तक प्राप्त अपीलें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3416	3416	507	3923
वर्ष 2023 में प्राप्त पुनर्स्थापना / रिमाण्ड / अवमानना / रिब्यू प्रार्थना पत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289	289	60	349
योग	288	88	95	147	140	337	305	210	272	353	388	1028	4058	3705	11414	1595	13009
1.1.23 से 31.12.23 तक निर्णित अपीलें / प्रार्थना पत्र	233	53	44	59	50	192	80	30	86	85	84	337	3012	1663	6008	985	6993
31.12.23 को शेष	55	35	51	88	90	145	225	180	186	268	304	691	1046	2042	5406	610	6016

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी : 7 निर्णय की प्रतियां जारी किए जाने व उनसे प्राप्त राशि का मासिक विवरण
वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

माह / वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्र	प्रतिलिपियां दी गईं	आवेदन-पत्र निरस्त	राशि प्राप्त रूपये में
जनवरी 2023	781	781	0	3219 / -
फरवरी 2023	598	598	0	2416 / -
मार्च 2023	357	357	0	2469 / -
अप्रैल 2023	223	223	0	675 / -
मई 2023	371	371	0	2806 / -
जून 2023	324	324	0	1027 / -
जुलाई 2023	547	547	0	1916 / -
अगस्त 2023	650	650	0	2217 / -
सितम्बर 2023	631	631	0	1983 / -
अक्टूबर 2023	748	748	0	2489 / -
नवम्बर 2023	383	383	0	1149 / -
दिसम्बर 2023	549	549	0	1682 / -
योग	6162	6162	0	24048 / -

जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क राजकीय प्रयोजनार्थ 1386 प्रतियां जारी की गईं।

वर्ष 2023 में माननीय उच्च न्यायालय में 96 मामले रैफर किए गए।

वर्ष 2023 में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की संख्या अधिकरण के अभिलेखानुसार 03 है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 8 :- अधिकरण को आवंटित बजट (वित्तीय वर्ष 2023-24) व
दिनांक 31.12.2023 तक व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्रं. सं.	मद	आवंटित	व्यय
1.	संवैतन	550.00	362.90
2.	यात्रा भत्ता व्यय	5.00	3.41
3.	चिकित्सा व्यय	0.25	—
4.	कार्यालय व्यय	25.00	16.40
5.	वाहनों का क्रय	—	—
6.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	6.00	3.06
7.	विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	9.00	3.74
8.	पुस्तकालय	2.50	0.63
9.	वाहन किराया	17.00	9.85
10.	संविदा सेवाएं	38.00	30.07
11.	वर्दी	0.23	0.23
12.	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत् संबंधी संचार व्यय	44.00	14.80
	योग	696.98	445.09

नोट :-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व मद 0070 में जमा राशि दिनांक 31.12.2023 तक रूपये 2,42,752/- (अक्षरे दो लाख बयालीस हजार सात सौ बावन मात्र) हैं।
2. अंकेक्षण जाँच पैराओं की स्थिति :- बकाया आक्षेप- 29

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर